

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजपहल रेजीडेन्सी ऐरिया, मिथिल साईन फाटक कैं. पाम जयपुर 302005

972
03.08.21

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2021/पार्ट-III/10140 जयपुर, दिनांक : 3-08-21

-: आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 26.10.2012 के अनुसार वर्ष 2012-13 की रिक्तियों हेतु श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय, कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया, लेकिन श्री उपाध्याय के विरुद्ध सीसीए-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 674 दिनांक 22.06.2004 आरोप पत्र विचाराधीन होने के कारण चयन सील कवर किया गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय के विरुद्ध सीसीए-16 के अन्तर्गत उक्त आरोप पत्र क्रमांक 674 दिनांक 22.06.2004 को निर्णय आदेश एफ 1(5)(1029)जांच/सान्याअवि/20/2064 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किये जाने के फलस्वरूप, पदोन्नति हेतु चयन सील कवर लिफाफा खोला जाकर श्री उपाध्याय को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2012-13 की रिक्ति के विरुद्ध दिनांक 01.04.2012 से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री उपाध्याय को पदोन्नति दिनांक 01.04.2012 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2020 तक नगद लाभ काल्पनिक देय होंगे।

(ओपीओ युनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2021/पार्ट-III/10541-50 जयपुर, दिनांक : 3-08-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/माल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन)/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
4. प्रभारी, संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/रिस्टर्ग एनालिरट(संयुक्त निदेशक) को वेवसाईट पर संचारित किये जाने हेतु।
5. संबंधित श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय सेवानिवृत्त,
6. व्यक्तिगत पत्रावली श्री उपाध्याय।
7. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव